

परिशिष्ट - XIV 171

वन विभाग

विलिप्त

12 अक्टूबर 1927

संख्या 1115/14-331-50 उत्तर प्रदेश के राजस्वार्त अधिकारी
 यह है कि इण्डियन ऑयल कंपनी 1927 ई. में 10, 1927 की अधिनियम-29 की
 उपधारा - 831 के अन्तर्गत जोड़ा गया अधिकार करने में सक्षम अधिकारी
 मंगल कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को बनाए रखे रहता है :-
 अल्प उपभुक्त उपधारा के प्रतिक्रिया द्वारा और अधिनियम 29
 की धारा-831-ए के साथ संश्लिष्ट उक्त धारा की उपधारा 211 के द्वारा जो
 अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राजस्वार्त अधिकारी को अधिकार है
 कि इस प्रकार जो भी तय अधिकार करने तक उक्त कल के अधिनियम - 29 के अन्तर्गत
 कोष में अतिरिक्त भूमि पर लागू करेंगे ।

अनुसूची

अनुसूची

क्रमांक	नाम, स्थान	हरी रंग, जमीन और कोटों में	विस्तार
1	मेरठ	x	x
2	मुजफ्फरपुर	x	
x	x	x	
21- पीलीभीत	1- मेरठ-पीलीभीत न्योरिया रोड	22 मील 3 फीट 10 इंच 10 इंच 10 इंच	
	2- पीलीभीत-बझाना रोड	2 मील 5 फीट 2 इंच 10 इंच रोड	
	3- बौधगढ़-पिपरा रोड	10 मील 3 फीट 3 इंच 10 इंच	
	4- पीलीभीत-बझाना	2 मील 3 फीट 3 इंच 10 इंच	
	5- पीलीभीत-बौधगढ़ रोड	22 मील 3 फीट 3 इंच 10 इंच	
	6- जटीमा-बौधगढ़ रोड	4 मील 4 फीट 4 इंच 10 इंच	

Shree Krishna
 प्रमाणित निदेशक
 साक्षात्प्रमाण, पीलीभीत

शील कृष्ण धवन/Sheel Krishna Dhawan
 परिसर प्रबंध (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (एन.डी.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
 बरली-243001 (उ.प्र.)/Barilly-243001 (U.P.)